नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा

किसानों के साथ संवाद में सीएम योगी ने प्रतिकर बढ़ाकर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर तक करने की घोषणा की

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए तीसरे चरण में जमीन देने वाले किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरे चरण के भूमि अधिग्रहण के एवज में प्रतिकर 3100 रुपये वर्गमीटर से बढ़ाकर 4300 रुपये वर्गमीटर तक करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आवास पर किसानों के साथ संवाद के बीच सीएम योगी ने यह घोषणा की।

बढ़े प्रतिकर पर नियमानुसार ब्याज भी दिया जाएगा। इसके अलावा अधिग्रहण से प्रभावित हर किसान परिवार के व्यवस्थापन, रोजगार और सेवायोजन के प्रबंध किए जाएंगे। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री एशिया के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन अप्रैल 2025 में करेंगे।

संवाद के बीच मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के सीईओ को मंच पर बुलाया और दो चरणों में हुए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित किसान परिवारों के व्यवस्थापन के बारे में पूछा। सीईओ ने बताया कि केवल उन्हीं को प्रतिकर देना बाकी है, जिनके उत्तराधिकार, वरासत से संबंधित प्रकरण लंबित है।

सीएम आवास पर संवाद के लिए पहुंचे किसानों से मिलते योगी। -स्रोत : सूचना विभाग

14 गांवों के किसानों को मिली राहत

जेवर के 14 गांवों के किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा ने जमीनों की कीमत को आसमान पर पहुंचा दिया है। पांच साल में जमीन के रेट ने दोगुने से भी अधिक की छलांग लगाई है। इन सभी गांव के किसान मुआवजा वृद्धि एवं अन्य मांगों को लेकर अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सभी 14 गांव से लगभग 400 किसानों को लखनऊ बुलाकर मुआवजा वृद्धि का एलान कर दिया। इसके बाद किसानों ने जमीन देने पर सहमति दे दी। अब जमीन अधिग्रहण में किसानों की मांगो को लेकर आने वाली परेशानियों का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है।

नए आपराधिक कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों को करें प्रशिक्षित : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए महाकुंभ में प्रदर्शनी लगाने को कहा। शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नए कानूनों के बारे में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण का काम मार्च, 2025 तक पूरा करें। उन्होंने जेलों, थानों और अभियोजन कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया।

- सीएम ने कहा कि नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपयोगी उपकरण मार्च, 2025 तक खरीद लिए जाएं। नए कानूनों के अनुपालन में फॉरेंसिक का अहम रोल है। सभी जिलों में एक-एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन संचालित है, उन्हें एक और नई वैन उपलब्ध कराई जाए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया तेज की जाए। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को बताया कि आईपीएस, पीपीएस और प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों और टेक्निकल स्टाफ को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षित किया जा चुका है। 99 प्रतिशत निरीक्षकों, 95 प्रतिशत उपनिरीक्षकों तथा 74 प्रतिशत हेड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल प्रशिक्षित हो चुके हैं। ब्यूरो

महाकुंभ में प्रदर्शनी लगाकर करें प्रचार : योगी ने कहा कि महाकुंभ में नए कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदर्शनी लगाएं। छोटे-छोटे वीडियो के जरिये श्रद्धालुओं को इसकी खूबियां बताएं। विशेष उपलब्धियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के साथ विगत दिनों में उल्लेखनीय दंड के प्रकरण, जिनमें न्यूनतम अवधि में अपराधियों को सजा दिलाई गयी है, उनका प्रचार-प्रसार किया जाए।